न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 37/24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024/174

बउनवानी:–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री पुरूषोत्तम पुत्र श्री घनश्याम योगी निवासी नीमली सवाईमाधोपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
श्री कमलेश गुर्जर वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 20.02.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 6.12.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.12.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म राधारानी ढाबा, सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 3 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 6.12.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह श्री कीर्तेश मीना, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 2.12.2024 को अप्रार्थी की फर्म राधा रानी ढाबा, सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री पुरूषोत्तम पुत्र घनश्याम योगी निवासी नीमली तहसील सवाईमाधोपुर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 3 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 3 गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रेणु गैस ऐजेन्सी बजरिया सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि श्री बंटी बैरवा पुत्र श्री रामलाल बैरवा निवासी पचाला को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर. नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्व गैस वजन किग्रा
1.	भारत गैस	9598	15	15.00	0.00
2.	इण्डेन	19339	15.5	24.00	8.5
3.	भारत गैस	098213	16.1	16.1	0
	कुल गैस भार		46.6	55.1	8.5

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 3 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:05:29 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुत. 6ए संख्या 37/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम पुरूषोत्तम योगी)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व निराधार तथ्यो के आधार पर 6ऐ का प्रकरण बनाया है क्योकि प्रार्थी के नाम से फर्म राधारानी ढाबा नही है प्रार्थी यह नही जानता है कि फर्म मै0 राधरानी ढाबा का मालिक कौन है तथा कहॉ निवास करता है तथा उक्त फर्म कहॉ पर स्थित है। प्रार्थी की पत्नि काली देवी पत्नि पुरूषोत्तम योगी के नाम से इण्डेन कम्पनी का गैस कनेक्शन है जिसका उपभौक्ता क्रमांक 7049219545 है तथा दूसरा गैस कनेक्शन प्रार्थी के काकाजी के लडके रामबाबू योगी पुत्र रामावतार योगी के नाम से इण्डेन कम्पनी का जारी किया गया है जिसका उपभौक्ता क्रमांक 3330 है। दिनांक 2.12.2024 को प्रार्थी तथा प्रार्थी के काकाजी का लडका रामबाबू अपने इण्डेन कम्पनी से जारी किये गये गैस कनेक्शन के दोनो सलेण्डरों को भरवाने के लिए अपने गांव काली ढाई नीमली कलॉ से अपनी मोटर साईकिल से इन्द्रा कॉलोनी मानटाउन सवाईमाधोपुर व श्याम इण्डेन ग्रामीण वितरक कुश्तला जाने के लिये आये थे प्रार्थी के उक्त दोनो गैस सलेण्डर को के.डी.गुप्ता के हॉस्पिटल के सामने स्थित चाय की दुकान के सामने रखकर प्रार्थी का भाई रामबाबू योगी के.डी. गुप्ता के होस्पिटल मे किसी रिश्तेदार से मिलने गया था। उसी दौरान प्रार्थी के सलेण्डर फर्म राधारानी ढाबा के मानते हुए यह कहते हुए जब्त कर लिये कि इन सलेण्डर का उपयोग ग्राहको के लिए चाय बनाने मे किया जा रहा था। जबकि मै राधारानी ढाबा के मालिक को जानता तक नही हूँ। मैने तत्समय जॉच दल को बताया था कि चाय बनाने वाले व्यक्ति आपको देखकर अभी अभी यहॉ से निकल गया है। जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व दो इण्डेन गैस सलेण्डर के अलावा अन्य दो सलेण्डर भारत गैस कम्पनी का गलत रूप से बनाया गया है जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता नही है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्व की गयी 6ऐ की कार्यवाही विधिविरूद्व होने से निरस्त की जावे एवं प्रार्थी की फर्म से जब्त किये गये 3 मे से इण्डेन कम्पनी के 2 गैस सिलेण्डर को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 2.12.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। निरीक्षण पर्चा, फर्द अभिग्रहण व सुपुदर्गीनामा पर अप्रार्थी पुरूषोत्तम के हस्ताक्षर है इसलिए उसका यह कथन उचित प्रतीत नही होता है कि उसका राधारानी ढाबा मे कोई हित नही है। एक सलेण्डर मे वरवक्त जब्ति कार्यवाही 8.5 किलोग्राम गैस मौजूद थी इसलिए सलेण्डर खाली होने पर भरवाने हेतु लाने बाबत अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि नही होती है। उक्त सलेण्डर अप्रार्थी द्वारा दुकान पर उपयोग मे लिये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से हो जाती है। इस प्रकार अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सलेण्डर रखने/उपयोग के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 3 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 3 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:05:29 IST
Reason: SelfAttested